



क्रमांक / 663 / 2021

रतलाम दिनांक 15/09/2021

:: ई-निविदा आमंत्रण ::
(छठवा आमंत्रण)

म.प्र. नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 80 एवं म.प्र. नगर पालिका (अचल सम्पत्ति अंतरण नियम) 2016 एवं दिनांक 04.05.2021 के संशोधन अंतर्गत ई-निविदा आमंत्रण सूचना ।

नगर पालिक निगम रतलाम की योजना महु रोड स्थित सुभाषचन्द्र काम्प्लेक्स की भूतल (महु रोड की तरफ) तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर की कुल 99 दुकानों की (सुपर बिल्टप एरिया) साईज के आधार पर कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार आरक्षित मूल्य की गणना कर म.प्र. नगर पालिक अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 80 के अंतर्गत म.प्र. नगर पालिका (अचल सम्पत्ति अंतरण नियम) 2016 एवं दिनांक 04.05.2021 के संशोधन के अनुसार तालिका मे वर्णित सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई- निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाणपत्र, पहचान पत्र (वोटर आई डी, आधारकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पेनकार्ड) आरक्षण वर्ग के होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्यों से अधिक राशि के प्रस्ताव/दर प्राप्त होने पर ही स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी। प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज का स्वप्रमाणीकरण किया जाकर प्रस्तुत करें। दुकानों के विस्तृत विवरण लागत मूल्य सहित निम्नानुसार है:-

क्रमांक	ई-निविदा क्रमांक	दुकान क्रमांक	क्षेत्रफल प्रति दुकान (सुपर बिल्टप एरिया) वर्गमीटर में	कुल मूल्य रूपये.	आरक्षण का प्रकार	निविदा प्रपत्र मूल्य	प्रतिभूति निक्षेप राशि (2.50 प्रतिशत)
अपर ग्राउण्ड फ्लोर							
1	159611	1 A कार्नर	33.43	3421200	अनुसूचित जाति पुरुष	5000	85530
2	159612	1 B	32.3	3295698	अनुसूचित जाति पुरुष	5000	82392
3	159613	2	32.89	3355898	अनारक्षित	5000	83897
4	159614	3	32.76	3342634	अनारक्षित	5000	83566
5	159615	4	32.76	3342634	अनुसूचित जाति पुरुष	5000	83566
6	159616	5	33.13	3380386	अनारक्षित	5000	84510
7	159617	6	33.13	3380386	अनारक्षित महिला	5000	84510
8	159618	7 कार्नर	33.67	3445688	अनारक्षित	5000	86142
9	159619	8 कार्नर	33.43	3421200	अनारक्षित	5000	85530
10	159620	9	33.12	3379366	अनारक्षित	5000	84484
11	159621	10	32.99	3366102	अनारक्षित	5000	84153
12	159622	45	32.5	3316105	अनुसूचित जनजाति महिला	5000	82903
13	159623	11	32.76	3342634	अनारक्षित महिला	5000	83566
14	159624	12	33.36	3403854	दिव्यांग पुरुष / महिला	5000	85096
15	159625	13	32.75	3341614	अनारक्षित	5000	83540
16	159626	14 कार्नर	33.47	3425281	अनारक्षित	5000	85632
17	159627	15 कार्नर	34.28	3507929	अनारक्षित	5000	87698
18	159628	16	33.26	3393651	अनारक्षित	5000	84841

19	159629	17	33.25	3392631	अनुसूचित जनजाति पुरुष	5000	84816
20	159630	18 कार्नर	34.71	3551803	अनुसूचित जनजाति महिला	5000	88795
21	159631	19 कार्नर	34.31	3510990	अनारक्षित	5000	87775
22	159632	20	33.65	3433444	अनारक्षित	5000	85836
23	159633	21	33.37	3404875	अनारक्षित	5000	85122
24	159634	22 कार्नर	34.48	3528335	अनारक्षित	5000	88208
25	159635	23 कार्नर	34.59	3539559	अन्य पिछडावर्ग पुरुष	5000	88489
26	159636	24	32.93	3359980	अनारक्षित	5000	84000
27	159637	25	33.29	3396712	अनारक्षित	5000	84918
28	159638	26 कार्नर	33.12	3389569	अनारक्षित	5000	84739
29	159639	27 कार्नर	33.78	3456912	अनुसूचित जाति पुरुष	5000	86423
30	159640	28	33.39	3406915	अनुसूचित जाति पुरुष	5000	85173
31	159641	29	33.65	3433444	अनारक्षित	5000	85836
32	159642	30 कार्नर	34.48	3528335	अनारक्षित	5000	88208
33	159643	31 कार्नर	33.31	3408956	अनारक्षित	5000	85224
34	159644	32	32.9	3356919	अनारक्षित	5000	83923
35	159645	33	32.76	3342634	अनुसूचित जाति पुरुष	5000	83566
36	159646	34	32.52	3318146	अनारक्षित	5000	82954
37	159647	35	32.84	3350797	अनारक्षित	5000	83770
38	159648	36 कार्नर	33.29	3406915	अनारक्षित	5000	85173
39	159649	38	32.23	3288556	अनारक्षित	5000	82214
40	159650	39	32.68	3334471	अनारक्षित	5000	83362
41	159651	40	32.14	3279373	अनारक्षित	5000	81984
42	159652	41	32.9	3356919	अनारक्षित	5000	83923
43	159653	42	32.76	3342634	अनारक्षित	5000	83566
44	159654	43	32.76	3342634	अनारक्षित	5000	83566
45	159655	44 कार्नर	33.55	3433444	अनारक्षित	5000	85836

लोअर ग्राउण्ड फ्लोर

46	159656	1 A कार्नर	31.86	3247839	अनारक्षित	5000	81196
47	159657	1 B	31.21	3171623	अन्य पिछडावर्ग पुरुष	5000	79291
48	159658	2	31.37	3187882	अनारक्षित महिला	5000	79697
49	159659	3	31.37	3187882	अनुसूचित जाति महिला	5000	79697
50	159660	4	31.37	3187882	अनुसूचित जाति पुरुष	5000	79697
51	159661	5	31.37	3187882	अनारक्षित	5000	79697
52	159662	6	31.37	3187882	अनारक्षित	5000	79697
53	159663	7 कार्नर	32.03	3265115	अनारक्षित	5000	81628
54	159664	8 कार्नर	31.81	3242758	अनारक्षित	5000	81069
55	159665	9	31.59	3210239	अनारक्षित	5000	80256

56	159666	10	31.59	3210239	अनारक्षित	5000	80256
57	159667	11	31.59	3210239	अनारक्षित	5000	80256
58	159668	12	31.59	3210239	अनारक्षित	5000	80256
59	159669	13	31.59	3210239	अनारक्षित	5000	80256
60	159670	15 कार्नर	31.81	3242758	अनारक्षित	5000	81069
61	159671	16 कार्नर	32.9	3353526	अनारक्षित	5000	83838
62	159672	17	31.39	3189915	अनारक्षित	5000	79748
63	159673	18	31.84	3235644	अनारक्षित	5000	80891
64	159674	19 कार्नर	32.92	3355558	अनारक्षित	5000	83889
65	159675	20 कार्नर	32.19	3281374	अनारक्षित	5000	82034
66	159676	21	31.66	3217353	अनारक्षित	5000	80434
67	159677	22	31.67	3218369	अनारक्षित	5000	80459
68	159678	23 कार्नर	33.93	3458196	अनारक्षित	5000	86455
69	159679	24 कार्नर	32.79	3342347	अनारक्षित	5000	83559
70	159680	25	32.06	3258001	अनुसूचित जनजाति पुरुष	5000	81450
71	159681	26	31.97	3248855	अनारक्षित महिला	5000	81221
72	159682	27 कार्नर	32.29	3291536	अनारक्षित	5000	82288
73	159683	28 कार्नर	33.19	3382996	दिव्यांग पुरुष / महिला	5000	84575
74	159684	29	32.03	3254953	अनुसूचित जाति पुरुष	5000	81374
75	159685	30	32.06	3258001	अनारक्षित	5000	81450
76	159686	31 कार्नर	32.92	3355558	अन्य पिछडावर्ग पुरुष	5000	83889
77	159687	32 कार्नर	32.18	3280358	अनारक्षित	5000	82009
78	159688	34	31.59	3210239	अनारक्षित	5000	80256
79	159690	35	31.59	3210239	अनारक्षित	5000	80256
80	159691	36	31.15	3165525	अनारक्षित	5000	79138
81	159692	37 कार्नर	32.25	3287472	अनारक्षित	5000	82187
82	159693	38 कार्नर	32.18	3280358	अनारक्षित	5000	82009
83	159694	39	31.21	3171623	अनारक्षित	5000	79291
84	159695	40	31.21	3171623	अनुसूचित जनजाति पुरुष	5000	79291
85	159696	41	31.21	3171623	अनारक्षित	5000	79291
86	159697	42	31.21	3171623	अनारक्षित	5000	79291
87	159698	43	31.21	3171623	अनारक्षित	5000	79291
88	159699	46 B	34.85	3541527	अनारक्षित	5000	88538
89	159700	46 A	33.06	3359623	अन्य पिछडावर्ग महिला	5000	83991
90	159701	46	32.81	3334218	अनारक्षित	5000	83355
91	159702	47	33.06	3359623	अन्य पिछडावर्ग पुरुष	5000	83991
92	159703	48	33.06	3359623	अन्य पिछडावर्ग पुरुष	5000	83991

93	159704	49	33.06	3359623	अनारक्षित	5000	83991
94	159705	50	33.37	3391126	अनुसूचित जाति महिला	5000	84778
95	159706	51	33.37	3391126	अनारक्षित	5000	84778
96	159707	52	33.37	3391126	अनारक्षित	5000	84778
97	159708	53	33.21	3374867	अनारक्षित	5000	84372
98	159709	54	33.99	3454132	अनारक्षित महिला	5000	86353
99	159710	55	33.99	3454132	अनारक्षित	5000	86353

1- उपरोक्त निविदाओं के निविदा प्रपत्र ऑन लाईन भुगतान कर, क्रय किये जा सकते हैं। निविदा क्रय तथा प्रस्तुत करने की समय सारणी निम्नानुसार है :-

Publish Date :	17-09-2021 16:00	Pri Bid Meeting Date :	
Document Download/Sale Start Date:	17-09-2021 16:30	Bid Submission End Date :	21-10-2021 15:30
Bid Submission Start Date :	17-09-2021 17:00	Bid Opening Date :	22-10-2021 15:30

2- उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी नगर निगम रतलाम की वेबसाईड www.rmcratlam.in पर देखी जा सकती है।

3- समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वह अंतिम दिवस की प्रतीक्षा न कर निर्धारित समय सारिणी अनुसार निविदा की ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करें। वेबसाईट में किसी प्रकार की असुविधा के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। वेबसाईट की किसी भी प्रक्रिया अथवा संचालन संबंधी जानकारी के लिये वेबसाईट का टोल फ्री नंबर 012-4001-002 पर संपर्क किया जा सकता है। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा परिवर्तन वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जावेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा। भवनों के संबंध में अन्य जानकारी नगर निगम कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में कक्ष क्रमांक 14 से प्राप्त की जा सकती है विक्रय संबंधी समस्त भारत ऑनलाईन डाऊनलोड की सकती है।

Sd
कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम रतलाम

पृ.क्रमांक/664/11/2021
प्रतिलिपि:-

रतलाम,दिनांक 15/09/2021

1. कलेक्टर एवं प्रशासक महोदय नगर पालिक निगम रतलाम की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम रतलाम की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी रतलाम विकास प्राधिकरण रतलाम नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. कार्यपालनयंत्री जलसंसाधन विभाग रतलाम नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. कार्यपालनयंत्री म.प्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल रतलाम नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. कार्यपालनयंत्री लोकनिर्माण विभाग रतलाम नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. कार्यपालनयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड रतलाम नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
9. कार्यालय मुख्य नोटिस बोर्ड नगर पालिक निगम रतलाम नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
10. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पंजीकृत व्यापारियों/उद्यमियों/ सप्लायर्स की ओर सूचनार्थ।
11. लेखाधिकारी नगर पालिक निगम रतलाम की ओर सूचनार्थ।

Sd
कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम रतलाम



कार्यालय, नगर पालिक निगम, रतलाम (म0प्र0)457001

कालेज रोड रतलाम, दूरभाष 07412-270555

फैक्स नं.07412-270556

Email- commratlam@mpurban.gov.in

Website- www.rmcratlam.in

सुभाषचंद बोस शापिंग काम्पलेक्स महु रोड स्थित प्रथम फ्लोर व लोअर फ्लोर की दुकानों के आवंटन हेतु ई-निविदा आमंत्रण की विस्तृत शर्तें:-

1. सुभाषचंद बोस शापिंग काम्पलेक्स महु रोड की दुकानें, प्रथम फ्लोर व लोअर फ्लोर पर स्थित दुकानों के आवंटन मध्यप्रदेश नगर पालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम 2016 एवं संशोधित नियम 04 मई 2021 के प्रावधान के अन्तर्गत किये जाने हेतु आफर ई-निविदा द्वारा आमंत्रित हैं। इसके अन्तर्गत तीन लिफाफा पद्धति के आधार पर निविदा आमंत्रित की जाती हैं। लिफाफा 'A' में अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप), लिफाफा 'B' में आरक्षित वर्ग के होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आवश्यक प्रमाण पत्र, आधारकार्ड तथा पेनकार्ड की छायाप्रति एवं ई-निविदा में उल्लेखित अन्य आवश्यक दस्तावेज तथा लिफाफा 'C' में निविदा दर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगी।
2. आरक्षित वर्ग की सम्पत्ति होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र/आवश्यक अन्य प्रमाण पत्र सही पाये जाने पर एवं अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप), नियमानुसार जमा होना पाये जाने पर ही निविदा दर का लिफाफा 'C' ऑनलाईन खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निविदा से संबंधित अन्य समस्त नियम एवं शर्तें ई-निविदा वेबसाईट पर देखी जा सकती हैं।
3. निगम द्वारा अंतरित की जाने वाली संपत्ति का पट्टा पट्टाधारी को 30 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया जावेगा।
4. पट्टे का नवीनीकरण 30 वर्ष की अवधि के लिये किया जा सकेगा।
5. पट्टे की अवधि के अवसान की तारीख से चार माह पूर्व की अवधि के दौरान नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
6. पट्टे पर दिये जाने वाली अचल सम्पत्ति पर भू-भाटक निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा की राशि का 2 प्रतिशत के मान से ली जावेगी। परिषद् प्रत्येक 05 वर्ष की भू-भाटक की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि कर सकेगी।
7. वार्षिक भाड़ा अग्रिम में देय होगा-अचल संपत्ति दुकान/हॉल/छत का प्रत्येक पट्टा इस शर्त के अधीन होगा कि पट्टे की अवधि के दौरान देय वार्षिक भू-भाटक प्रति वर्ष अग्रिम में देय होगा तथा पट्टाधारी का यह दायित्व होगा कि वह निर्धारित अवधि के पूर्व उक्त राशि जमा करे। निर्धारित तिथि के पूर्व भू-भाटक जमा करने में असफल रहने की दशा में 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज अधिरोपित किया जाएगा।
8. ई-निविदा में प्रत्येक संपत्ति के लिए अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) की राशि पृथक-पृथक जमा कराना अनिवार्य होगा जो कि आरक्षित मूल्य के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगा। अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) जमा न किये जाने की स्थिति में निविदा विचार योग्य नहीं होगी।
9. उच्चतम निविदा दर दाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक से 21 (इक्कीस) दिवस में जमा की जावेगी और शेष राशि निविदा दर की अंतिम स्वीकृति के संबंध में लिखित सूचना प्राप्त होने के दिनांक से 120 दिवस के अन्दर जमा की जाएगी। सफल निविदाकार द्वारा आनलाईन जमा की गई धरोहर राशि दुकान की रजिस्ट्री के उपरांत आनलाईन आवेदक के उसी खाते में वापस अंतरित हो जावेगी, जिससे कि राशि जमा की गई थी। यदि निविदाकार द्वारा विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि या संसूचित अवधि के अन्दर शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आयुक्त "विक्रय या पट्टे को अनुपयुक्त कर दिया गया" घोषित कर सकेगा तथा पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।

10. निविदाकार को नियमों के अन्तर्गत 120 दिवस के अंदर सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराने का प्रावधान है। किन्तु वह इस अवधि के अंदर कभी भी सम्पूर्ण राशि जमा करवा सकता है। सम्पूर्ण राशि जमा होने के 07 दिवस के भीतर नगर निगम द्वारा लीज पट्टा संपादित करवा दिया जावेगा।
11. यथास्थिति, निविदा प्रक्रिया समाप्त होने पर या प्रस्ताव खोले जाने के तत्काल पश्चात् उच्चतम दर प्रस्तुतकर्ता निविदाकार की अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) को छोड़कर शेष सभी निविदाकारों की अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) नियमानुसार वापस कर दी जाएगी।
12. निविदा प्रस्थापना के प्रस्ताव को अमान्य किये जाने पर निविदाकर्ता को अग्रिम राशि वापस कर दी जायेगी किन्तु ब्याज देय नहीं होगा।
13. सफल निविदाकार द्वारा स्वीकृति उपरांत निर्धारित समय-सीमा में राशि जमा न करने की स्थिति में अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) राशि राजसात की जावेगी जिसके विरुद्ध कोई भी आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।
14. आरक्षित प्रवर्ग की सम्पत्ति उसी संवर्ग को नियमानुसार अंतरित की जा सकेगी, नामांतरण की कार्यवाही नियम 4 के प्रावधान अनुसार की जायेगी। इसका उल्लंघन किये जाने पर आवंटन निरस्त कर सम्पत्ति का अधिपत्य निगम द्वारा पुनः ले लिया जावेगा।
15. आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों का तीन बार सार्वजनिक सूचना द्वारा निविदा आमंत्रित किये जाने पर भी कोई निविदा प्राप्त नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति को नियम 5 में दिये गये सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके सामान्य वर्ग को निविदा द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित कर आबंटित किया जा सकेगा।
16. संपत्ति के रचनात्मक भागों के किसी भाग को कोई अतिरिक्त कार्य करने या परिवर्तन करने की पात्रता नहीं होगी, जो संरचना की सुरक्षा को प्रभावित करती हो तथा वह इसे उसी स्थिति में रखेगा, जैसा कि उसे प्रदान किया गया है।
17. यदि सम्पत्ति को किसी प्राकृतिक आपदा या दंगाग्रस्त भीड़ या अन्य किसी दुर्घटना जो मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती है तो इस प्रकार हुई क्षति को पट्टाधारी को ही वहन करना होगा। इसके लिए आयुक्त नगर निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
18. संपत्ति का रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मत पट्टेधारी द्वारा किया जाएगा।
19. आयुक्त नगर पालिक निगम रतलाम लोकहित में उक्त संपत्ति का अंतरण निरस्त कर सकेगा और व्यवस्थापन वैकल्पिक स्थान पर कर सकेगा।
20. आयुक्त नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा अथवा आयुक्त द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा उसका निरीक्षण किया जावेगा।
21. पट्टाधारी द्वारा व्यवसाय हेतु किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ या शासन द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित मादक पदार्थों या किन्हीं अन्य ऐसे पदार्थों के संग्रहण एवं विक्रय की अनुमति नहीं होगी, जो लोगों के जीवन पर हानिकारक प्रभाव डाले व उसकी संपत्ति तथा आस-पास की संपत्तियों के लिए असुरक्षित हो। इस प्रकार के आपत्तिजनक पदार्थों के संग्रहण की जाँच आयुक्त नगर निगम अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कभी की जा सकेगी। इस शर्त के उल्लंघन होने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी एवं नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।
22. पट्टाधारी किसी ऐसी गतिविधि का क्रियान्वयन नहीं करेगा, जो विधि के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है और आसपास के रहवासियों अथवा आमजन की भांति, सुखाधिकार तथा सुरक्षा को प्रभावित करती हो।
23. पट्टाधारी द्वारा आबंटित सम्पत्ति के अतिरिक्त शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अथवा अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।
24. आयुक्त नगर पालिक निगम रतलाम लोकहित में संपत्ति में सुधार हेतु पट्टाधारी को निर्देश दे सकेगा।
25. पट्टाधारी को विद्युत संयोजन एवं नल कनेक्शन स्वयं के व्यय पर नियमानुसार प्राप्त करना होगा।
26. पट्टाधारी द्वारा इन निर्मित बनाये गये नियमों और उसके अधीन बनाए गए उपबंधों और अनुबंध की शर्तों के अनुपालन में चूक करने की दशा में सम्पत्ति का अन्तरण निरस्त किया जा सकेगा।
27. केन्द्र सरकार M090शासन एवं स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित कर/शुल्क/अन्य प्रभारों का भुगतान पट्टाधारी द्वारा किया जाएगा।

28. म0प्र0नगर पालिक निगम एक्ट 1956 की धारा 17 व 19 के अन्तर्गत नगर निगम रतलाम के निर्वाचित पार्षद एवं उनके परिजनों को निविदा में भाग लेने की पात्रता नहीं रहेगी।
29. म0प्र0नगर पालिक निगम एक्ट 1956 की धारा 59 के अन्तर्गत नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके परिजन को निगम सम्पत्ति तथा भूखण्ड, दुकान इत्यादि क्रय करने हेतु निविदा में भाग लेने की पात्रता नहीं रहेगी।
30. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधान, मध्यप्रदेश अचल सम्पत्ति अंतरण नियम 2016 एवं संशोधित नियम 04 मई 2021 के अनुसार निर्धारित सभी शर्तें व नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
31. पट्टाधारी को आबंटित संपत्ति के संबंध में शासन संचालनालय तथा इस संबंध में समय-समय पर प्रसारित विधि/नियम/आदेश/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
32. आबंटिती द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर तथा 10 वर्ष का भू-भाटक एक मुश्त जमा करने पर सम्पत्ति को नियमानुसार आबंटिती के पक्ष में फ्री होल्ड कर दिया जावेगा।
33. निविदाकार को बैंक से ऋण स्वीकृत करवाने में बैंकों को भागीदार बनाया जाकर आवश्यक सहयोग दिया जावेगा।


कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम रतलाम